यूजीसी के नये नियमों के खिलाफ सर्व समाज का विरोध प्रदर्शन

नवभारत, शहडोल । सर्व समाज समन्वय समिति के बैनर तले शहर के अनारक्षित (सवर्ण) वर्ग के समाजसेवियों और प्रमुख व्यक्तियों ने यूजीसी (प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन) रेगुलेशन्स 2026 को काला कानून बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर शहडोल को सौंपा और यूजीसी काला कानून वापस लो के नारे लगाए।यह नियम, जिसे जनवरी 2026 में यूजीसी ने अधिसूचित किया था, उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए इक्विटी कमेटियाँ गठित करने, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों की सुरक्षा पर जोर देता है। लेकिन अनारक्षित वर्ग के लोगों का आरोप है कि यह नियम एकतरफा है, सामान्य वर्ग के छात्रों/शिक्षकों के खिलाफ दुरुपयोग हो सकता है और समाज में विभाजन पैदा करेगा। यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम 2026 के विभाजनकारी प्रावधानों के विरोध में शहडोल में सर्व समाज एकजुट शहडोल जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिकों एवं विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 के उन प्रावधानों का कड़ा विरोध किया है, जो अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के भारतीय नागरिकों को अलग-अलग करने, नफरत फैलाने वाली एवं समाज में विभाजनकारी नीति को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं। कहा गया है इस विनियम के कुछ अस्पष्ट एवं एकतरफा प्रावधानों से सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों एवं नागरिकों में भय एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह नीति उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के नाम पर वास्तव में समाज को बाँटने एवं प्रतिभा को दबाने का माध्यम बन सकती है।इस अन्यायपूर्ण नीति के विरोध में शहडोल के सर्व समाज समन्वय समिति के माध्यम से जिला कलेक्टर, शहडोल को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन में भारी संख्या में अलग-अलग वर्ग में सेवारत डॉक्टर वकील शिक्षाविद व अन्य समाजसेवी शामिल रहे।

प्रदर्शन में प्रमुख रूप से शामिल रहे: प्रकाश तिवारी, घनश्याम जायसवाल, दयाशंकर शुक्ल,बाल्मीक गौतम, रमाशंकर गौतम,राममिलन शर्मा, त्रिलोकीनाथ गर्ग, शक्ति सिंह चंदेल, सुशील शर्मा, शेखर मिश्रा, लक्ष्मण गुप्ता, गणेश सिंह दादू, अखिलेश शर्मा, पांडे सुभाष चतुर्वेदी, विष्णुकांत मिश्र, राम लखन तिवारी, बीपी द्विवेदी, नीलेश्वर मिश्रा, सुनील खरे, ऋषि गुप्ता, कृष्ण कुमार केजरीवाल, अखिलेश पांडे, निखिल त्रिपाठी, अशोक तांगड़ी, शिवनाथ द्विवेदी, श्रीनिवास शर्मा, विष्णु पांडे, मनीष शुक्ला, बृजकांत मिश्रा, नव दुर्गेश मिश्रा, शरद मिश्रा डॉ. जितेंद्र शर्मा डॉ. रूपेश गुप्ता, बलभद्र द्विवेदी, संजय मिश्रा, सागर मिश्रा, आयुष तिवारी, अनिल द्विवेदी, वीरभान सिंह, कृष्णा मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, राहुल मिश्रा, चंद्रिका प्रसाद शुक्ला, कृष्णा तिवारी, अमर मिश्रा, सुनील शर्मा, रमाकांत सिंह, राम प्रसाद तिवारी, शीतल मंडलोई, मोना थापक, संजीत सोनी, बंटी श्रीवास्तवतथा अन्य प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि यह नियम तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि यह उच्च शिक्षा में समानता के नाम पर असमानता बढ़ा सकता है। उल्लेखनीय है कि देशभर में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें लखनऊ, दिल्ली, जबलपुर सहित कई शहर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 2026 के अंत में इन नियमों पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार को नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।यह घटना शहडोल में अनारक्षित वर्ग की एकजुटता और शिक्षा परिसर में बच्चों के भविष्य को लेकर नीति के प्रति उनकी जागरूकता का प्रदर्शन करती है।

पं. शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नवभारत, शहडोल। पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (मध्यप्रदेश) में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अंतर्गत कार्यालय विकास आयुक्त द्वारा संचालित ईएसडीपी के तहत 04 फरवरी 2026 को एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वन आधारित उत्पाद विषय पर केंद्रित रहा, जिसका आयोजन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा किया गया।कार्यक्रम का आयोजन स्थल पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय परिसर रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता की संभावनाओं तथा वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. प्रमोद कुमार पांडेय ने अपने उद्बोधन में कहा कि वन आधारित उत्पाद आदिवासी एवं ग्रामीण अंचलों की आजीविका का मजबूत आधार बन सकते हैं। यदि स्थानीय संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से मूल्य संवर्धन किया जाए तो रोजगार सृजन के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे नौकरी की तलाश करने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी बनने की दिशा में सोच विकसित करें। विशिष्ट अतिथि डॉ. आशीष तिवारी नेयोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार द्वारा युवाओं के लिए अनेक योजनाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिनका लाभ उठाकर वन उत्पादों पर आधारित लघु उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने स्टार्टअप संस्कृति को अपनाने और नवाचार को उद्यमिता से जोड़ने पर बल दिया।कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि एवं नोडल पीएम-उषा डॉ. रचना दुबे ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शैक्षणिक डिग्री प्रदान करने का केंद्र नहीं, बल्कि कौशल, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का माध्यम है। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को विद्यार्थियों के व्यावहारिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य में और अधिक उद्यमिता-आधारित गतिविधियों के आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को बताया गया कि किस प्रकार स्थानीय वन उत्पादों का मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन कर आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही डैडम् योजनाओं, सरकारी सहायता, प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधनों एवं स्टार्टअप अवसरों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी बताया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे आयोजनों को स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के निरंतर आयोजन का आश्वासन दिया।

कमिश्नर ने कार्यक्रम स्थल ग्राम गांधिया का किया निरीक्षण

- मुख्यमंत्री करेंगे श्री राम वन पथ गमन स्थल में शबरी माता की प्रतिमा का अनावरण

नवभारत, शहडोल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के शबरी जयंती के अवसर पर 8 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए कमिश्नर शहडोल संभाग सुरभि गुप्ता एवं कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जनपद पंचायत जयसिंहनगर के ग्राम गांधिया में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर की बेहतर साफसफाई एवं मंदिर की रंगाई पुताई सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम गांधिया में प्रस्तावित कार्यक्रम में शबरी माता की मूर्ति का अनावरण, हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण जैसे अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसके लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व काजोल सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे को जेसीबी से हटाया

नवभारत, कटनी। जिले के बहोरीबंद में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष तिवारी से बहोरीबंद के खसरा नंबर 1114 में 300 वर्ग फुट शासकीय भूमि पर रामकुमार पिता परसादी द्वारा अतिक्रमण करने की जानकारी दी गई थी। बहोरीबंद निवासी सतीश सेंगर ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया था कि पटवारी हल्का नंबर 28 बहोरीबंद के खसरा नंबर 1114 के रकबा 1.16 हेक्टेयर भूमि पर 20 बाय 15 करीब 300 वर्ग फुट शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की जानकारी दी गई थी। जिस पर कलेक्टर ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के पालन में तहसीलदार नेहा जैन, नायब तहसीलदार आकाशदीप नामदेव, राजस्व निरीक्षक रविशंकर मिश्रा, पटवारी मनोज मौर्य, गीता गुप्ता, भर्तेश सिंह, अंकित हीरा और अजय परस्ते की मौजूदगी में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया है।

सड़क पर सामग्री रखने पर दुकान संचालकों पर साढ़े 8 हजार का जुर्माना

- नगर निगम की टीम द्वारा की गई कार्रवाई

नवभारत, कटनी। शहर के मार्गों के किनारे से अनाधिकृत अस्थाई अतिक्रमणों को हटाकर सार्वजनिक आवागमन को व्यवस्थित करने और नागरिकों को सुगम आवागमन की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से अतिक्रमण विभाग की गठित अलग-अलग टीमों द्वारा शहर के के विभिन्न स्थलों पर कार्रवाई अभियान चलाया गया। नगर निगम की गठित टीम द्वारा अभियान के पहले शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण कर सर्वजनिक मार्ग के किनारे अनाधिकृत रूप से सामग्री रख आवागमन को बाधित नहीं करनें की मुनादी की गई।

जिसके बाद मुख्य मार्गो के सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले सब्जी व्यवसाईयों और ठेला संचालकों को जिला अस्पताल के सामने स्थित हाकर्स जोन जाने के लिए कहा गया है। नगर निगम की टीम साढ़े आठ हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया है। कार्रवाई के दौरान गोल बाजार, झंडा बाजार सहित अन्य बाजार क्षेत्रों की सार्वजनिक मार्गो में दुकान सामग्री रखकर व्यवसाय करने वाले की सामग्री को भी दुकान के अंदर रखवाया गया। अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह ने बताया कि निगमायुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। टीमों द्वारा माधवनगर, बरगवां, हाउसिंग बोर्ड, बस स्टैंड, गर्ग चौराहा आदर्श कॉलोनी, झंडा बाजार, गोल बाजार, स्टेशन रोड, बरही रोड, दुर्गा चौक, मुडवारा स्टेशन मार्ग, स्टेट बैंक तिराहा मिशन चौक, सुभाष चौक, स्टेशन रोड में अभियान चलाकर मुख्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।

चोरी के आरोप में युवक गिरफ्तार, आभूषण बरामद

नवभारत, कटनी। रेल यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के से जीाअरपी ने लाखों रुपए के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं।

जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक एलपी कश्यप ने बताया कि मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दबिश देकर कोतवाली थाना अंतर्गत कैलावरा फाटक निवासी राज भूमिया (20) को चोरी के संदेह में हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने रेल यात्रियों का सामान चोरी करना स्वीकार किया है। जीआरपी ने से 6 लाख 83 हजार रुपए मूल्य की संपत्ति बरामद की है। आरोपी से जीआरपी ने तीन तौला सोने की चेन, स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं।

दहशत | विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के दरौड़ी गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत, सतर्क रहने की सलाह

खेत में लगी लोहे की फेंसिंग में फंसा तेंदुआ

नवभारत, कटनी। जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा अंतर्गत ग्राम दरौडी में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ खेत की लोहे की कंटीली फेंसिंग में बुरी तरह फंसा मिला। शिकार की तलाश में भटके तेंदुए के तारों में उलझने से वह लहूलुहान और अत्यंत आक्रामक हो गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वन विभाग ने इलाके की घेराबंदी कर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम को बुलाया। 500 मीटर क्षेत्र में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। तेंदुए को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने की प्रक्रिया जारी है। जानकारी के अनुसार तेंदुआ शिकार की तलाश में या रास्ता भटक कर खेत की ओर आया था। यहां वह लोहे के कटीले तारों में बुरी तरह उलझ गया। चश्मदीदों ने बताया कि खुद को छुड़ाने की कोशिश में तेंदुआ लहूलुहान भी हुआ है। तार में फंसे होने के कारण तेंदुआ काफी आक्रामक स्थिति में है, जिससे क्षेत्र में सतर्कता का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही विजयराघवगढ़ और बड़वारा वन अमला तत्काल मौके पर पहुंचा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। वन अधिकारियों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम को तत्काल सूचित किया है। वन विभाग ने घटनास्थल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी ग्रामीण के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांधवगढ़ की टीम तेंदुए को 'ट्रेंकुलाइज' कर सुरक्षित तरीके से बाहर निकालेगी। रेस्क्यू के बाद तेंदुए का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और स्वस्थ होने पर उसे वापस सुरक्षित जंगलों में छोड़ा जाएगा। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तेंदुआ फेंसिंग से अचानक छूट जाता है, तो वह हिंसक हमला कर सकता है। विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा है कि वे घटनास्थल के आसपास भीड़ नहीं लगाएं और शोर नहीं मचाएं। इसके अलावा वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को खेतों और खुले इलाकों में अकेले जाने से बचने की सलाह दी है। ग्रामीणों को अपने बच्चों और पालतू मवेशियों को सुरक्षित, बंद स्थानों पर रखने सावधान रहने के लिए कहा गया है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
ब्यौहारी जिला-शहडोल (म.प्र.)
Email-ro83beohari@gmail
रा.प्र.क्रं. 0137/अ-6-85/25-26
क्र./प्रवा./ / 2026 / प्रो. क्र. - 314
ब्यौहारी, दिनांक 03/02/2006

सूचना

1. कोदूलाल ढीमर पिता गंगाराम ढीमर निवासी ग्राम निपनिया (मृतक) तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल विधिक वारिसगण 1. रामसुफल पिता कोदूलाल ढीमर निवासी ग्राम निपनिया, 2. साखिया पुत्री कोदूलाल ढीमर निवासी ग्राम निपनिया, 3. ललिया पुत्री कोदूलाल ढीमर निवासी ग्राम निपनिया, 4. विमला पुत्री कोदूलाल ढीमर निवासी ग्राम निपनिया, सभी का थाना पपौंध व तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.) .....आवेदकगण

बनाम

1. हरिशरण पिता भोला प्रसाद, 2. प्रीती पिता भोला प्रसाद, 3. रामकिशोर पिता रामप्रताप, 4. रामनाथ पिता रामप्रताप, निवासी ग्राम निपनिया तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.) .....अनावेदगण

एतद् द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, मेरे न्यायालय में विचाराधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-115/32 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 के तहत आवेदक कोदूलाल ढीमर पिता गंगाराम ढीमर बगै. निवासी ग्राम निपनिया तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल म.प्र. के द्वारा विरुद्ध हरिशरण पिता भोला प्रसाद बगै. निवासी निपनिया तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.) प्रचलित आवेदन पत्र में आवेदक / रेस्पा. गण सूचित हो कि, उक्त उन्माद प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 20.02.2026 को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होवें। नियत तिथि कों उपस्थित नही होने पर गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) ब्यौहारी
जिला शहडोल (म.प्र.)